# एक फरवरी को भारत से टीके की 10 लाख खुराक आएंगी : दक्षिण अफ्रीका

जोहानिसबर्ग, 28 जनवरी (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. जवेली मखिज ने बताया कि भारत से एक फरवरी को कोविड-19 के टीके की 10 लाख खुराक आएंगी। मखिज ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दुबई से होकर टीके की खुराकों के यहां पहुंचने के बाद 10 से 14 दिन के भीतर अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद, उन्हें विभिन्न प्रांतों को दिया जाएगा।

मखिज ने पहले घोषणा की थी कि भारत से टीके की 10 लाख खुराकों की पहली खेप जनवरी अंत तक दक्षिण अफ्रीका पहुंचेगी। इसके बाद फरवरी में अतिरिक्त पांच लाख खुराकें आएंगी। टीकाकरण कार्यक्रम के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य प्राथमिक सेवाओं के कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। इसका लक्ष्य 2021 के अंत तक दक्षिण अफ्रीका की 5.85 करोड़ आबादी में से 67 प्रतिशत को टीके लगाना है। मंत्री ने कहा, 'कोविड-19 का पहला मामला सामने आने के एक साल के अंदर 10 लाख खुराकें प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है।' उन्होंने ट्रायल में शामिल हुए स्वयंसेवियों की सराहना भी की।

# कान फिल्म महोत्सव जुलाई 2021 तक के लिए स्थगित

कान, 28 जनवरी (भाषा)।

कान फिल्म महोत्सव 2021 को स्थगित कर दिया गया है और अब यह जुलाई में आयोजित होगा। महोत्सव के आयोजकों ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण महोत्सव को दो महीने के लिए टाल दिया गया है।

कान की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया, 'जैसा कि घोषणा की गई थी, वैश्विक स्वास्थ्य स्थिति में बदलाव को देखते हुए कान महोत्सव की तारीख तय करने का अधिकार आयोजकों के पास है।' वक्तव्य में कहा गया, 'पहले इसका आयोजन 11 मई से 22 मई, 2021 तक किया जाना था लेकिन अब यह छह जुलाई से 17 जुलाई 2021 के बीच आयोजित होगा।' महामारी के कारण गत साल महोत्सव का आयोजन रद्द कर दिया गया था और अक्तूबर में सादगी भरा एक कार्यक्रम किया गया था।

# एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथी को काम से रोकने वाला आदेश वापस

वाशिंगटन, 28 जनवरी (भाषा)।

**ट्रंप के शासन के समय एच-1बी कार्य वीजाधारकों के जीवनसाथी को काम करने की अनुमति देने वाले एच4 वीजा पर रोक लगाई गई थी, जिनमें से ज्यादातर अत्यधिक कुशल भारतीय महिलाएं हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को रोजगार की इजाजत दी गई थी।**

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कार्यभार संभालने के एक सप्ताह बाद ट्रंप शासन के उस आदेश को वापस ले लिया, जिसके तहत एच-1बी कार्य वीजाधारकों के जीवनसाथी को काम करने की अनुमति देने वाले एच4 वीजा पर रोक लगाई गई थी, जिनमें से ज्यादातर अत्यधिक कुशल भारतीय महिलाएं हैं। एच-4 वीजा एच-1बी वीजाधारकों के पति/पत्नी या 21 साल से अधिक उम्र के बच्चों को जारी किया जाता है। उच्च कौशल वाले एच-1बी वीजाधारकों में बड़ी संख्या भारतीयों की है।

एच-1बी वीजा एक गैर-अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को कुछ व्यवसायों के लिए विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जहां सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से प्रत्येक वर्ष दसियों हजार कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस वीजा पर निर्भर हैं।

आमतौर पर एच-4 वीजा उन लोगों को जारी किया जाता है, जिन्होंने पहले ही अमेरिका में रोजगार-आधारित वैध स्थायी दर्जा पाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिका के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (ओएमबी) और ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स (ओआईआरए) ने सोमवार को कहा कि इस संबंध में जारी नियम को वापस ले लिया गया है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को रोजगार की इजाजत दी गई थी।

ट्रंप प्रशासन ने सत्ता में आने के तुरंत बाद 2017 में इस नियम को रद्द करने की घोषणा की। हालांकि, रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाला ट्रंप प्रशासन अपने शासन के चार वर्षों में इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सका। राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान बाइडन ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को वापस लेने का वादा किया था।


## टायटन सिक्युरिटीज लिमिटेड

CIN L67190DL1993PLC052050
पंजी. कार्यालय: ए-2/3, तीसरी मंजिल, लुसा टॉवर, आजादपुर, दिल्ली-110033
फोन: नं.: 011-27674181 | ई-मेल: titansecurities@yahoo.com

31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अनंकेक्षित कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों का विवरण

(रू लाखों में) ईपीएस को छोड़कर

| क्र सं | विवरण | कंसोलिडेटेड समाप्त तिमाही 31.12.2020 अनंकेक्षित | 30.09.2020 अनंकेक्षित | 31.12.2019 अनंकेक्षित | समाप्त नौमाही 31.12.2020 अनंकेक्षित | 31.12.2019 अनंकेक्षित | समाप्त वार्षिक 31.03.2020 अंकेक्षित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रचालन से कुल आय (शुद्ध) | 69.27 | 72.87 | 32.24 | 175.34 | 92.71 | 213.35 |
| 2 | अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पहले, शेयर में सहयोगी, असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के लाभ से पहले) | 16.93 | 3.31 | 0.93 | 17.48 | -15.59 | 30.52 |
| 3 | कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद) | 75.31 | 3.31 | 0.93 | 75.86 | -15.59 | 30.52 |
| 4 | टैक्स के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद) | 267.67 | 218.12 | 57.30 | 905.45 | 133.03 | 217.16 |
| 5 | अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ)/(नुकसान) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (टैक्स के बाद) (नोट 3 देखें) | 272.51 | 230.99 | 60.57 | 938.56 | 163.44 | 243.45 |
| 6 | पेड-अप इक्वटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- प्रति शेयर) | 2,501.62 | 2,501.62 | 2,501.62 | 2,501.62 | 2,501.62 | 2,501.62 |
| 7 | पिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व | - | - | - | - | - | 857.86 |
| 8 | प्रति शेयर आय (रू.10/- प्रत्येक) | | | | | | |
| | (ए) बेसिक | 1.07 | 0.87 | 0.23 | 3.62 | 0.53 | 0.87 |
| | (बी) डायल्यूटिड | 1.07 | 0.87 | 0.23 | 3.62 | 0.53 | 0.87 |

31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैन्डलोन वित्तीय परिणामों का विवरण

(रू लाखों में) ईपीएस को छोड़कर

| क्र सं | विवरण | स्टैन्डलोन समाप्त तिमाही 31.12.2020 अनंकेक्षित | 30.09.2020 अनंकेक्षित | 31.12.2019 अनंकेक्षित | समाप्त नौमाही 31.12.2020 अनंकेक्षित | 31.12.2019 अनंकेक्षित | समाप्त वार्षिक 31.03.2020 अंकेक्षित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रचालन से कुल आय (शुद्ध) | 69.27 | 72.87 | 32.24 | 175.34 | 92.71 | 213.35 |
| 2 | अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर, असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं से पहले) | 16.93 | 3.31 | 0.93 | 17.48 | -15.59 | 30.52 |
| 3 | कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद) | 75.31 | 3.31 | 0.93 | 75.86 | -15.59 | 30.52 |
| 4 | टैक्स के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद) | 56.43 | 3.16 | 1.74 | 56.83 | -14.94 | 24.02 |
| 5 | अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ)/(नुकसान) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (टैक्स के बाद) (नोट 3 देखें) | 61.27 | 16.03 | 5.01 | 89.94 | 15.47 | 50.31 |
| 6 | पेड-अप इक्वटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- प्रति शेयर) | 2,501.62 | 2,501.62 | 2,501.62 | 2,501.62 | 2,501.62 | 2,501.62 |
| 7 | पिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व | | | - | - | - | 315.32 |
| 8 | प्रति शेयर आय (रू.10/- प्रत्येक) | | | | | | |
| | (ए) बेसिक | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | -0.06 | 0.10 |
| | (बी) डायल्यूटिड | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | -0.06 | 0.10 |

नोट्स:
1. उपरोक्त 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त हुए तिमाही और नौमाही के लिए स्टैंडलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणाम के विस्तृत स्वरूप का एक अर्क है। सेबी (नियमन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की बीएसई लिमिटेड के तहत विनियमन 33 के तहत दायर की गई। BSE की वेबसाइट पर 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त हुए तिमाही और नौमाही के स्टैंडलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों का प्रारूप www.bseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट www.titansecuritieslimited.com पर भी उपलब्ध है।
2. 31.12.2020 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए उक्त अघोषित स्टैंडलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 27 जनवरी, 2021 को आयोजित बैठक में रिकॉर्ड किया गया है। उपरोक्त परिणामों का ऑडिट कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, सेबी के विनियमन 33 (नियमन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) 2015 के संदर्भ में जैसा संशोधित हुआ है।
3. कंपनी ने कराधान कानून (संशोधन) अधध्यादेश 2019 द्वारा पेशा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA के तहत अनुमति दिए गए विकल्प को चुनने के लिए चुना है। तद्अनुसार, कंपनी ने 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए आयकर के प्रावधान को मान्यता दी है और उक्त अनुभाग में निर्धारित दर के आधार पर अलग-अलग कर संतुलन को समाप्त कर दिया है।
4. भारत सरकार द्वारा लगाए गए COVD-19 के प्रकोप और परिणामस्वरूप 24 मार्च, 2020 से राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण गैर-आवश्यक श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के लिए पैन-इंडिया का कारोबार बाधित हुआ है। कंपनी ने संभावित जोखिम पर विचार किया है जो महामारी से उत्पन्न हो सकता है, अपनी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि पर, जिसके लिए कंपनी ने निर्णय और मान्यताओं को लागू करने में विवेक के सिद्धांतों के साथ - साथ इन परिणामों के अनुमोदन की तारीख तक उपलब्ध आंतरिक/बाहरी जानकारी का उपयोग किया है, इन परिणामों के अनुमोदन की तारीख तक उपलब्ध जानकारी और इन वित्तिय परिणामों पर भौतिक प्रभाव नहीं है। कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों के किसी भी आर्थिक प्रभाव की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।
6. आसाधारण आय (संपत्ति की बिक्री) रू. 5838268/- को इस तिमाही के लिए आसाधारण वस्तुओं में दिखाया गया है।
5. स्टैंडलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियमावाली 2015 (संशोधित) में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों ('Ind AS') के अनुसार तैयार किए गए हैं (आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांत)

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
कृते टायटन सिक्युरिटीज लिमिटेड
हस्ता/-
मंजू सिंगला
प्रबंध संचालक
DIN-00027790

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 27/01/2021


# अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर ने महिला को गोली मार कर खुदकुशी की

ह्यूस्टन, 28 जनवरी (भाषा)।

अमेरिकी के टेक्सास राज्य की राजधानी ऑस्टिन के एक चिकित्सा कार्यालय में कैंसर से पीड़ित भारतीय मूल के 43 वर्षीय बाल रोग विशेषज्ञ ने कुछ लोगों को बंधक बनाने के बाद एक महिला डॉक्टर की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि हथियारबंद व्यक्ति की पहचान डॉ भरत नरुमांची के रूप में हुई है जो कैंसर से पीड़ित था।

सीएनएन की खबर के अनुसार, ऑस्टिन पुलिस विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। जिसमें बताया गया कि पुलिस को मंगलवार को कॉल के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति 'चिल्ड्रेन्स मेडिकल ग्रुप' (सीएमजी) के कार्यालय में हथियार लेकर घुस गया है और उसने कुछ लोगों को बंधक बना लिया है।

पुलिस ने कहा कि शुरुआत में कई लोगों को बंधक बनाया गया था लेकिन बहुत से लोग चंगुल से निकलने में कामयाब हो गए और हमलावर ने कैथरीन डॉडसन नामक एक बाल रोग विशेषज्ञ को छोड़कर अन्य को जाने की अनुमति दी।

पुलिस ने कहा कि हमलावर के चंगुल से भाग निकलने में कामयाब रहे लोगों ने घटनास्थल पर अधिकारियों को बताया कि व्यक्ति के पास पिस्तौल है जो शॉटगन जैसी दिख रही थी।

पुलिस को डॉ. नरुमांची और डॉ. डॉडसन के बीच किसी प्रकार के संबंध की जानकारी नहीं मिली है।

पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 'ऐसा लगता है कि डॉ. नरुमांची ने डॉ. डॉडसन की हत्या करने के बाद खुद को गोली मार ली।' घटना की जांच जारी है।

# विदेश नीति के केंद्र में होगी जलवायु परिवर्तन चुनौतियां : बाइडेन

वाशिंगटन, 28 जनवरी (भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का केंद्र होंगी। बाइडेन ने इस चुनौती से निपटने के लिए बुधवार को कई शासनादेशों पर हस्ताक्षर किए। इन चुनौतियों को उन्होंने इस युग का सबसे बड़ा खतरा बताया है।

बाइडेन ने वाइट हाउस में कहा, 'आज मैं जिस शासनादेश पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, वह यह भी स्पष्ट करता है कि जलवायु परिवर्तन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के केंद्र में होगा।' बाइडेन ने पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी को जयवायु परिवर्तन से जुड़े मामलों के राष्ट्रपति के विशेष दूत के लिए नामित किया है।

# हास्य कलाकार फारूकी की जमानत याचिका खारिज

इंदौर, 28 जनवरी (भाषा)।

हिंदू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी और एक अन्य प्रस्तोता नलिन यादव की जमानत याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दीं। साथ ही अदालत ने अपने आदेश में कहा कि देश में अलग-अलग तबकों के बीच सौहार्द्र और भाईचारा बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

हाई कोर्ट के इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने याचिकाओं पर सुनवाई के बाद गुरुवार को जारी फैसले में दोनों आरोपियों की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा, 'मुकदमे के गुण-दोषों को लेकर संबंधित पक्षों की दलीलों पर अदालत कोई भी टिप्पणी करने से बच रही है। लेकिन मामले में जब्त सामग्री, गवाहों के बयानों और (पुलिस की) जांच जारी होने के चलते फिलहाल जमानत याचिकाओं को मंजूर करने का कोई मामला नहीं बनता है।'

# बच्ची का हाथ पकड़ना, अपने गलत इरादे जाहिर करना यौन उत्पीड़न नहीं

नागपुर, 28 जनवरी (भाषा)।

**बंबई हाई कोर्ट की न्यायाधीश ने पोक्सो कानून के दायरे को लेकर कहा**

बंबई हाई कोर्ट की न्यायाधीश ने एक फैसले में कहा है कि पांच साल की एक बच्ची का हाथ पकड़ना और उसके समक्ष अपने गलत इरादे जाहिर करना बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत यौन उत्पीड़न नहीं है।

न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाला के एकल पीठ ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति की अपील पर 15 जनवरी को अपने फैसले में यह टिप्पणी की थी। इस व्यक्ति ने पांच साल की एक बच्ची के यौन उत्पीड़न करने और छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी ठहराए जाने संबंधी सत्र अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।

न्यायाधीश ने इस फैसले के चार दिन बाद पॉक्सो कानून के तहत 39 वर्षीय एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया गया था कि बच्ची की छाती को उसके कपड़ों के ऊपर से स्पर्श करने को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता। हालांकि, उन्हें अपने इस फैसले को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है।

न्यायमूर्ति गनेदीवाला ने 19 जनवरी को सुनाए गए उक्त फैसले में 39 वर्षीय एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा था कि बच्ची के शरीर को कपड़ों के ऊपर से गलत इरादे से स्पर्श करने को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना तथा न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम के पीठ ने बुधवार को अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा यह मामला पेश किए जाने के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

वेणुगोपाल ने दलील दी थी कि बंबई हाई कोर्ट का यह फैसला बहुत ही परेशान करने वाला है। वहीं, लिबनस कुजूर (50) को अक्तूबर 2020 में भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धाराएं-354(1) (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 448(घर में जबरन घुसना)-तथा पॉक्सो कानून की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था और पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी।

न्यायमूर्ति गनेदीवाला ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन ने यह साबित कर दिया है कि आरोपी ने पीड़िता के घर में उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने या यौन उत्पीड़न करने के मकसद से प्रवेश किया था, लेकिन वह (अभियोजन) आरोपी के 'यौन हमला करने' या 'इरादतन या जानबूझ कर यौन हमला करने' के आरोपों को साबित नहीं कर पाया है।

न्यायाधीश ने कहा, 'पीड़िता का हाथ पकड़ने या उसके समक्ष गलत इरादे जाहिर करना, जैसा कि अभियोजन की गवाह (पीड़िता की मां ने देखा था), इस अदालत की राय में यौन हमले की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है।' अदालत ने कहा कि मामले के तथ्य आरोपी की आपराधिक जवाबदेही तय करने के लिए अपर्याप्त हैं। अभियोजन के अनुसार कुजूर 12 फरवरी, 2018 को बच्ची के घर उस वक्त गया था, जब उसकी मां घर पर नहीं थी।


## RattanIndia Power Limited

**Extract from the Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31 December 2020**

(Rs. in Crore)

| Sr. No | Particulars | Quarter Ended 31.12.2020 (Unaudited) | 30.09.2020 (Unaudited) | 31.12.2019 (Unaudited) | Nine Months Ended 31.12.2020 (Unaudited) | 31.12.2019 (Unaudited) | Year Ended 31.03.2020 (Audited) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total income from operations | 303.86 | 198.13 | 371.79 | 697.73 | 1,479.55 | 1,773.88 |
| 2 | Net loss for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items) | (69.09) | (461.27) | (1,009.60) | (981.14) | (1,990.49) | (2,502.26) |
| 3 | Net (loss)/ profit for the period before tax (after exceptional and/ or extraordinary items) | (69.09) | (461.27) | 1,657.81 | (981.14) | 676.92 | 165.15 |
| 4 | Net (loss)/ profit for the period after tax (after exceptional and/ or extraordinary items) | (69.09) | (461.27) | 1,657.81 | (981.14) | 676.92 | 165.15 |
| 5 | Total comprehensive (loss)/ income for the period [Comprising (loss)/ profit for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)] | (69.52) | (455.31) | 1,657.80 | (975.57) | 670.74 | 154.64 |
| 6 | Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10 per equity share) | 4,939.78 | 4,939.78 | 4,564.38 | 4,939.78 | 4,564.38 | 4,939.78 |
| 7 | Other equity (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year | | | | | | (4,510.23) |
| 8 | Earnings per share (EPS) (Face value of Rs. 10 per equity share) | | | | | | |
| | - Basic (Rs.) | (0.14)* | (0.94)* | 5.52* | (1.99)* | 2.28* | 0.49 |
| | - Diluted (Rs.) | (0.14)* | (0.94)* | 5.44* | (1.99)* | 2.27* | 0.46 |
| | *(EPS for the quarter and nine months ended are not annualised) | | | | | | |

Notes:
(a) Additional information on standalone financial results is as follows:

| Sr. No | Particulars | Quarter Ended 31.12.2020 (Unaudited) | 30.09.2020 (Unaudited) | 31.12.2019 (Unaudited) | Nine Months Ended 31.12.2020 (Unaudited) | 31.12.2019 (Unaudited) | Year Ended 31.03.2020 (Audited) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total income from operations | 303.86 | 198.13 | 371.79 | 697.73 | 1,479.55 | 1,773.88 |
| 2 | Net profit/ (loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items) | 33.44 | 0.27 | (560.73) | 33.68 | (716.78) | (768.70) |
| 3 | Net profit for the period before tax (after exceptional and/ or extraordinary items) | 33.44 | 0.27 | 2,106.68 | 33.68 | 1,950.63 | 1,898.71 |
| 4 | Total comprehensive income for the period [Comprising profit for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)] | 33.44 | 0.61 | 2,106.68 | 34.06 | 1,950.93 | 1,899.12 |

(b) The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the company's website www.rattanindia.com and on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

(c) The Auditors in their Review Report on the standalone financial statement for the period ended 31 December 2020 have brought out that: the Company has a non-current investment of ₹ 1,513.13 crores (net of impairment provision) and inter corporate deposits (classified under current assets) of ₹ 26.05 crores recoverable from Sinnar Thermal Power Limited (formerly RattanIndia Nasik Power Limited) (STPL), a wholly owned subsidiary of the Company, as at 31 December 2020. The subsidiary company has incurred losses since its inception and is yet to commence operations. The accumulated losses in the subsidiary company amount to ₹6,740.84 crores as at 31 December 2020, and the management of the subsidiary company has determined that a material uncertainty exists as at 31 December 2020, that may cast significant doubt about the subsidiary company's ability to continue as a going concern. The management of the Company, based on an internal estimate, has recorded an impairment of ₹1,513.13 crores against carrying value of investment in STPL in prior year. In the absence of evidence for such impairment assessment performed by the management, we are unable to obtain sufficient appropriate evidence to comment on any adjustment that may further be required to be made to the balance carrying value of the above mentioned non-current investment of ₹1,513.13 crores and inter corporate deposits of ₹26.05 crores as at 31 December 2020 and the consequential impact thereof on the accompanying Statement.

Registered Office : A-49, Ground Floor, Road No. 4, Mahipalpur, New Delhi-110037
CIN: L40102DL2007PLC169082

On behalf of the Board of Directors
For RattanIndia Power Limited

Place: New Delhi
Date : 28 January 2021

Rajiv Rattan
Chairman



## CMI LIMITED

CIN L74899DL1967PLC018031
Regd. Office: Flat No. 501-503, 5th Floor, New Delhi House
27 Barakhamba Road, New Delhi - 110 001
Ph.: 011-49570000, Fax No.: 011-23739902
Website: www.cmilimited.in Email: info@cmilimited.in

### CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF POSTAL BALLOT

This is Corrigendum to the Notice of Postal Ballot dated 30th December, 2020 sent to the shareholders on 06th January, 2021 being issued by the company and the shareholders of the company should take note of Proper bifurcation of pre & post shareholding (Promoter and PACs, Public, Total shares) as given below:
Under Explanatory Statement point no. 1 (e)
**Shareholding Pattern before and after the offer is given below:**
The broad Shareholding Pattern of the Company before and after the issue of equity shares of the Company will be as follows:

**Pre Allotment Shareholding***

| Category | No. of Equity Shares | % |
|---|---|---|
| A. Promoter and PACs: | 66,05,995 | 43.96 |
| B. Public: | | |
| Institutions | | |
| Mutual Funds and UTI | 3,00,000 | 2.00 |
| Foreign Portfolio Investros | 5,96,867 | 3.97 |
| Banks/Financial Institutions | 80 | 0.00 |
| Non- Institution | | |
| Individuals | 57,69,443 | 38.39 |
| Corporate Bodies | 7,43,372 | 4.95 |
| NRIs | 6,13,853 | 4.08 |
| Others (Clearing Member & HUF) | 3,97,847 | 2.65 |
| Total (A+B) | 1,50,27,457 | 100 |

*As at 30.09.2020

**Post Allotment Shareholding**

| Category | No. of Equity Shares | % |
|---|---|---|
| A. Promoter and PACs: | 66,05,995 | 29.99 |
| B. Public: | | |
| Institutions | | |
| Mutual Funds and UTI | 3,00,000 | 1.36 |
| Foreign Portfolio Investros | 5,96,867 | 2.71 |
| Banks/Financial Institutions | 80 | 0.00 |
| Non- Institution | | |
| Individuals** | 1,27,69,443 | 57.97 |
| Corporate Bodies | 7,43,372 | 3.37 |
| NRIs | 6,13,853 | 2.79 |
| Others (Clearing Member & HUF) | 3,97,847 | 1.81 |
| Total (A+B) | 2,20,27,457 | 100 |

**This shareholding includes 70,00,000 Equity Shares to be allotted on preferential basis to non- promoters.
This Corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with Notice of Postal ballot sent to the shareholders.
Others terms will remain same and shall be read accordingly.
This Corrigendum to the Notice of Postal Ballot will also be available on company's website at www.cmilimited.in

By Order of Board of Directors
For CMI Limited
Sd/-
Subodh Kumar Barnwal
(Company Secretary)

Date: 28-01-2021
Place: New Delhi



## RattanIndia Infrastructure Limited

**Extract from the Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2020**

(Rs. in Lakh)

| Sr. No | Particulars | Quarter Ended 31.12.2020 (Unaudited) | 30.09.2020 (Unaudited) | 31.12.2019 (Unaudited) | Nine Months Ended 31.12.2020 (Unaudited) | 31.12.2019 (Unaudited) | Year Ended 31.03.2020 (Audited) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total income from operations | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Net profit/ (loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items) | 12.10 | 6.15 | 40,083.89 | 27.04 | 414.41 | (15,303.91) |
| 3 | Net profit/ (loss) for the period before tax (after exceptional and/ or extraordinary items) | 12.10 | 6.15 | 40,083.89 | 27.04 | 414.41 | (15,303.91) |
| 4 | Net profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional and/ or extraordinary items) | 10.21 | 5.20 | 40,083.89 | 22.95 | 414.41 | (15,303.91) |
| 5 | Total comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising profit/ (loss) for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)] | 10.21 | 5.20 | 40,083.89 | 22.95 | 414.41 | (15,304.02) |
| 6 | Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 2 per equity share) | 27,645.39 | 27,645.39 | 27,645.39 | 27,645.39 | 27,645.39 | 27,645.39 |
| 7 | Other equity (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year | | | | | | (19,184.59) |
| 8 | Earnings per share (EPS) (Face value of Rs. 2 per equity share) | | | | | | |
| | - Basic (Rs.) | 0.001* | 0.000* | 2.900* | 0.002* | 0.030* | (1.107) |
| | - Diluted (Rs.) | 0.001* | 0.000* | 2.900* | 0.002* | 0.030* | (1.107) |
| | *(EPS for the quarter and nine months ended are not annualised) | | | | | | |

Notes:
(a) Additional information on standalone financial results is as follows:

| Sr. No | Particulars | Quarter Ended 31.12.2020 (Unaudited) | 30.09.2020 (Unaudited) | 31.12.2019 (Unaudited) | Nine Months Ended 31.12.2020 (Unaudited) | 31.12.2019 (Unaudited) | Year Ended 31.03.2020 (Audited) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total income from operations | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Net profit/ (loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items) | 12.10 | 6.15 | (73.79) | 27.04 | (135.62) | (37.93) |
| 3 | Net profit/ (loss) for the period before tax (after exceptional and/ or extraordinary items) | 12.10 | 6.15 | (73.79) | 27.04 | (135.62) | (37.93) |
| 4 | Total comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising profit/ (loss) for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)] | 10.21 | 5.20 | (73.79) | 22.95 | (135.62) | (38.04) |

b) The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the company's website www.rattanindia.in/ril and on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Registered Office : H. No. 9, First Floor, Hauz Khas Vill., New Delhi - 110016
CIN: L74110DL2010PLC210263

On behalf of the Board of Directors
For RattanIndia Infrastructure Limited

Place: New Delhi
Date : January 28, 2021

Rajiv Rattan
Chairman


www.readwhere.com